राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 16, बुधवार, शाके 1929–जून 6, 2007
Jyaistha 16, Wednesday, Saka 1929–June 6, 2007

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, जून 6, 2007

संख्या प. 2(3) विधि–2/2006:–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी इण्डियन पार्टनरशिप (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2007 (एक्ट नं. 7 ऑफ 2007) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 7)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 मई, 2007 को प्राप्त हुई]

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 को राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान–मण्डल भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का नाम भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

334

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 1932 के केन्द्रीय अधिनियम 9 की अनुसूची I का प्रतिस्थापन.– भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम–9) की अनुसूची I में, अनुसूची I, जैसी कि वह उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में विद्यमान है, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची–I

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उप–धारा (1) देखिए]

क्र. सं.	दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस संदेय है	अधिकतम फीस
1	2	3
1.	धारा 58 के अधीन कथन	तीन सौ रुपये
2.	धारा 60 के अधीन कथन	एक सौ रुपये
3.	धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ रुपये
4.	धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ रुपये
5.	धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ रुपये
6.	धारा 64 के अधीन आवेदन	एक सौ रुपये
7.	धारा 66 की उप–धारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण	रजिस्टर की एक जिल्द के निरीक्षण के लिए एक सौ रुपये
8.	धारा 66 की उप–धारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण	एक फर्म से संबंधित समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए एक सौ रुपये
9.	फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए पन्द्रह रुपये।"

महेश भगवती,

शासन सचिव।